उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्याः– 114 /सामा0 प्रशा0/भूमि चयन/2022–23 | दिनांक 13.03.2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, आवासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावेदन। **(Online no. FP/UK/other/156508/2022)**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहादून का पत्रांक 08 बी /यू0सी0पी0/09/69/2022/एफ0सी0/967 दिनांक 14–02–2023।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत करना है कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यलय, बागेश्वर के कार्यालय भवन निर्माण तथा ट्रेफिक अवरनेस सेन्टर/ ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण हेतु ग्राम गाडगॉव में चिन्हित 0.74 है0 भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/other/156508/2022) पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहादून द्वारा विचारोपरान्त चार त्रुटियां पाई गई थी।

उपर्युक्त त्रुटियों के निराकरण की आख्या संलग्न है।

संलग्नक– त्रुटियों का निराकरण प्रपत्र।

भवदीय,

13-03-23

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

प्रतिलिपिः– 1– सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवतन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून–248001 महोदय, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–संयुक्त परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून, महोदय, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू.सी./09/69/2022/एफ.सी./1563 दिनांक 14.02.2023 द्वारा प्रदर्शित त्रुटियों का निराकरण

1. –: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु – अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

Quiry number	Quiry Raised	Quiry Resolution.
1	The Approach Road to the proposed site from the existing road is still not clear. A District Road is shown in the layout adjacent to the proposed site, however no such road is marked in the KML. Hence, the state Gov is requested to clarify the same	• प्रस्तावित परियोजना स्थल, 460 मीटर दूरी के अप्रोच रोड जो कि पुराना जिला पंचायत हल्का मार्ग है, द्वारा मुख्यमार्ग **NH309A**से जुड़ा है। • परियोजना स्थल तथा **Approoch** मार्ग को दर्शाती **KML File** का गूगल मैप फोटोग्राफ संलग्न है। • **KML** में परियोजना स्थल को मुख्य मार्ग से जोडने वाले अप्रोच मार्ग दर्शाती हुई **KML File** की सी0डी0 संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

2 The Possibility of avoiding felling of few trees over an area of parking and track can be examined by further revisiting the layout.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उनके पत्रांक सं0 8बी/यू.सी./09/69/2022/एफ.सी./1563 दिनांक 14.02.2023 दिये गये निर्देशों के कम में प्रस्वावित परियोजना स्थल पर प्रभावित वृक्षों के न्यूनतम पातन के दृष्टिगत प्रशासन, परिवहन विभाग, तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया।

- पुनः निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भूमि में निर्मित होने वाली तीनों परियोजनाओं पर स्थित वृक्षों को बचाने हेतु निरीक्षण आख्या निम्नवत है।{परियोजना स्थल पर वृक्षों को दर्शाता हुआ प्रपत्र 32.6 "The Location Of 21 Trees on the Lay Out Plan" संलग्न है।}

क0सं0	परियोजना का नाम	वृक्षों की संख्या तथा विवरण	अभियुक्ति
01	कार्यालय भवन का निर्माण	M1, M2– 02 आम के वृक्ष P1 01 चीड़ वृक्ष कुल 03 वृक्ष	• उक्त परियोजना के अर्न्तगत कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। उक्त हेतु तीनों वृक्षों का पातन अपरिहार्य है।
02	ट्रैफिक अवेयनेस सेन्टर एवं काउंसलिंग हॉल भवन निर्माण।	P12 से P19 कुल 08 चीड़ वृक्ष	• उक्त परियोजना के अर्न्तगत दो मंजिला भवन निर्मित किया जाना है। प्रथम मंजिल पर विभिन्न अभियोगो में सीज वाहनों को दीर्घ अवधि हेतु पार्क किया जायेगा। तथा दो मंजिले में विभिन्न अभियोगों में दंडित वाहन चालकों हेतु काउंसलिंग हॉल का निर्माण किया जाना है। • उक्त हेतु प्रस्तावित भू भाग ढालदार है जिसका समतलीकरण के उपरान्त ट्रैफिक अवेयनेस सेन्टर दो मंजीला भवन का निर्माण किया जाना है। • अतः उर्पयुक्तानुसार भवन निर्माण के दृष्टिगत उक्त सभी 08 चीड वृक्षों का

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर

पृष्ठ संख्या-04

			पातन अपरिहार्य है।
03	ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक/कारपार्किंग निमार्ण	• P2,P3,P4,P5 • कुल 04 वृक्ष	कुल 04 चीड वृक्षपरियोजना निर्माण के प्रस्तावित पार्किंग भूमि पर स्थित है। पार्किंग अलाइनमेंट में सूक्ष्म परिवर्तन करते हुए इन चारों वृक्षों को बचाया जा सकता है। अतः P2,P3,P4,P5 चार चीड वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।
		• **P6,P7,P8** • **कुल 03 वृक्ष**	यह तीन वृक्ष परियोजना निर्माण के ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक मार्ग पर स्थित है। पुनः निरीक्षण में पाया गया कि, ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक के अलाईनमेंट में न्यून परिवर्तन से उक्त तीनो वृक्षों को बचाया जा सकता है। अतः P6,P7,P8 तीन चीड़ वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।
		• **P9,P10,P11** • **कुल 03 वृक्ष**	यह तीन वृक्ष परियोजना निर्माण के ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक मार्ग के ढलूदार भू–भाग पर स्थित है। इस भाग पर ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक के Uphillभाग को बनाया जाना है। इस ट्रैक निर्माण अलाइनमेन्ट में परिवर्तन करने पर P10 तथा P11 दो वृक्षों को बचाया जा सकता है परन्तु P9 का पातन अपरिहार्य होगा। अतः P10,P11 चीड वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।
	• उर्पयुक्तानुसार सम्पूर्ण परियोजना निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले 21 वृक्षों में से, पार्किंग तथा ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक निर्माण के दौरान P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 तथा P10,P11 कुल 09 वृक्षों को नही काटा जाएगा। • इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले कुल 21 वृक्षों में से केवल 11 चीड़ वृक्षों तथा 02 आम वृक्ष कुल 13 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। • इस संबंध में संशोधित प्रपत्र 20(1)" परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप सें काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण" एवम संशोधित प्रपत्र**20 "परियोजना से प्रभावित होने वाले /पातन किये जाने वाले वृक्षों का** मूल्यांकन" प्रपत्र सलग्न है।		

सहायक क्षेत्रीय अधिकारी
जोधपुर

3	The proposed project area needs to be justified in terms of capacity required to address lesser population and lesser number of vehicles in the mountainous areas. Has this been taken care of?	• जनपद की कुल जनसंख्या 260000 है तथा जनपद में पंजीकृत वाहनों की संख्या 25000 है। • बदलते आर्थिक भौगोलिक परिदृष्य में प्रत्येक नागरिक हेतु वाहन की आवश्यकता मूलभूत प्रकार की बनती जा रही है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 1500 नये वाहनों का पंजीयन जनपद मे किया जा रहा है यह संख्या प्रत्येक वर्ष बढती जा रही है। • विकास शील राज्य/जनपद में प्रत्येक व्यक्ति के पास ड्राईविंग लाईसेंस होना सामान्यतया अपरिहार्य बनता जा रहा है।, वाहनों की बढती संख्या के साथ–साथ सड़क सुरक्षा का पहलू भी अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। • इन प्रत्येक सेवाओं के लिए कार्यालय भवन की आवश्यकता अपरिहार्य है। • उक्त के दृष्टिगत, ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयनेस सेन्टर तथा काउंसलिंग हॉल का निर्माण भी अपरिहार्य है। भविष्य में और अधिक वाहनों का दबाव बढने पर उर्पयुक्त स्थान पूर्ण उपयोगी रहेगा। प्रस्तावित परियोजना में तीन उपपरियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। निम्न तालिका मे तीनों उप परियोजनाओं का नाम, क्षेत्रफल, उद्देश्य तथा आवश्यकता का विवरण दर्शाया गया है–

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

परियोजना	उद्देश्य	आवश्यकता / अभ्युक्ति
I. **अन–आवासीय कार्यालय परिसर,** कुल क्षेत्रफल **0.2285**है0	• **कार्यालय भवन में** प्रथमतः वाहन सेवाओं के वाहन टैक्स सम्बन्ध • द्वितीयतः वाहन फिटनेस कार्य सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक द्वारा सम्पादित किया जाता है। • तृतीयतः चालक /सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय पहुंच कर विभिन्न चरणों से गुजरना होता है यथा बॉयोमैटिक ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच, कम्प्यूटर ऑनलाईन टैस्ट, सिमियुलेटर टैस्ट आदि। सभी चरणों के पश्चात अभ्यर्थी को वाहन सहित डाईविंग टेस्टिंग टैक पर फाईनल टैस्ट पास करना होता • **कार्यालय भवन में**प्रवर्तन शाखा के अन्तर्गत प्रवर्तन दल द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा सम्बन्धित उपकरणों के रख –रखाव का कार्य होता है।	• वाहन पंजीयन तथा ड्राईविंग लाईसेंस सम्बन्धी सेवाओं हेतु कार्यालय भवन का होना अपरिहार्य है। • वर्ष 2007 में कार्यालय बनने के पश्चात वर्तमान तक परिवहन कार्यालय किराये के भवन में संचालित है। पूर्व में स्थान की कमी के कारण कार्यालय भवन (किराये का) स्थानान्तरित भी किया गया है। • स्थाई कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित भू–क्षेत्र का चयन जनसंख्या तथा वाहनों की न्यूनतम संख्या के दृष्टिगत ही किया गया है।
II. **ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर भवन** कुल क्षेत्रफल **0.1115**है0	• रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सीज/निरूद्व वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक **ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन** का अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है। • संवेदनशील अभियोगों में दोषी/ नियमों के उल्लघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफ्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिग प्रदान की जानी है जिस हेतु सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिग हॉल का निर्माण भी आवश्यक है।	• जनपद बागेश्वर परिवहन कार्यालय, प्रवर्तन दल द्वारा विभिन्न अभियोगों में वार्षिक लगभग 40 से 50 वाहनों को निरूद्ध किया जाता है। इन वाहनों को पार्क करने तथा इन वाहनों को टूट–फुट, वार्षिक क्षय आदि से बचाने हेतु तथा विभिन्न अभियोगों में दण्डित वाहन चालकों की काउंसलिग हेतु एक ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन का निर्माण किया जाना है। • उक्त हेतु प्रस्तावित 0.1115 हेक्टेयर भूमि न्यूनतम तथा अपरिहार्य है।

पृष्ठ संख्या - 07

III. **ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक** कुल क्षेत्रफल **0.40हे0**	• चालक /सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी मैदान/ मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु ऑटोमेटेड **डाईविंग टैस्टिंग टैक** का होना अतिआवश्यक है। • माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशो के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13–113 /2017 दिनांक 26–08–2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में डाईविंग लाईसैंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया।	• ऑटोमेटेड डाईविंग टैस्टिंग टैक के निर्माण हेतु 40 हेक्टेयर /4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य है। • मुख्यालय कार्यालय के निर्देशानुसार भी इस हेतु 0.40 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है।

- यद्यपि जनपद की जन संख्या तथा वाहन संख्या अपेक्षाकृत कम है परन्तु देश के इस सीमान्त जनपद के वासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को नजर अन्दाज भी नही किया जा सकता।

- अतःउपर्युक्तानुसार प्रस्तुत करना है कि, प्रस्तावित परियोजना का निर्माण हेतु जनपद की न्यून जनसंख्या, अल्प वाहन संख्या आदि को पूर्णतया दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम भू–क्षेत्र को ही चिन्हित किया गया है।

  आर्वेदित 0.740 हे0 वन भूमि (0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि) की मॉग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निमार्ण कार्य किया जाना सम्भव नही है।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

4	The state Government has submitted that no alternative land is available for the said purpose. The area adjacent to the proposed area is treeless. Hence the state government is requested to submit the comments regarding why this area is not considered for the said purpose.	➢ The area adjacent to the proposed area is treelessके सबन्ध में प्रस्तुत करना है कि, यह वृक्ष रहित भू–क्षेत्ररिजर्व/आरक्षित फॉरेस्ट है।रिजर्व/आरक्षित भू– क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के सबन्ध में पूर्व में नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा किसी अन्य क्षेत्र के चयन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया था। ➢ महोदय, यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 द्वारा 2008–09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर **आरक्षित वन भूमि** होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए। जिसका विवरण प्रपत्र 01 (प्रतिवेदन) के पृष्ठ संख्या (06) में अकिंत है। (प्रति संलग्न) ➢ **अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत यह वृक्ष रहित भू–क्षेत्र रिजर्व/आरक्षित फॉरेस्ट होने के कारण परियोजना हेतु विचारित नही किया गया।** ➢ इस सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या 14 वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र मूल प्रस्ताव में प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

Rajesh Pathak trader's
PK MAGGI Point Bageshwar
Parkash Taxi Services
A Cafe by Arvind Chandra अ कैफे...
APPROACH ROAD
Maa Mansa
Image © 2023 Airbus
Image © 2023 Maxar Technologies

पृष्ठ संख्या - 09

पृष्ठ संख्या - 26

प्रपत्र– 32.6

The location of 21 trees on the lay out plan.

PLOT AREA	7400.65 SQ.M.
OFFICE PERMISES AREA + + LAWNS+PARKING +INTERNAL ROAD	2285.04 SQ.M.
T.A.C. & MEETING HALL + GARAGE	1114.96 SQ.M.
2 WHEELER TEST TRACK + 4 WHEELER TEST TRACK	4000.00 SQ.M.

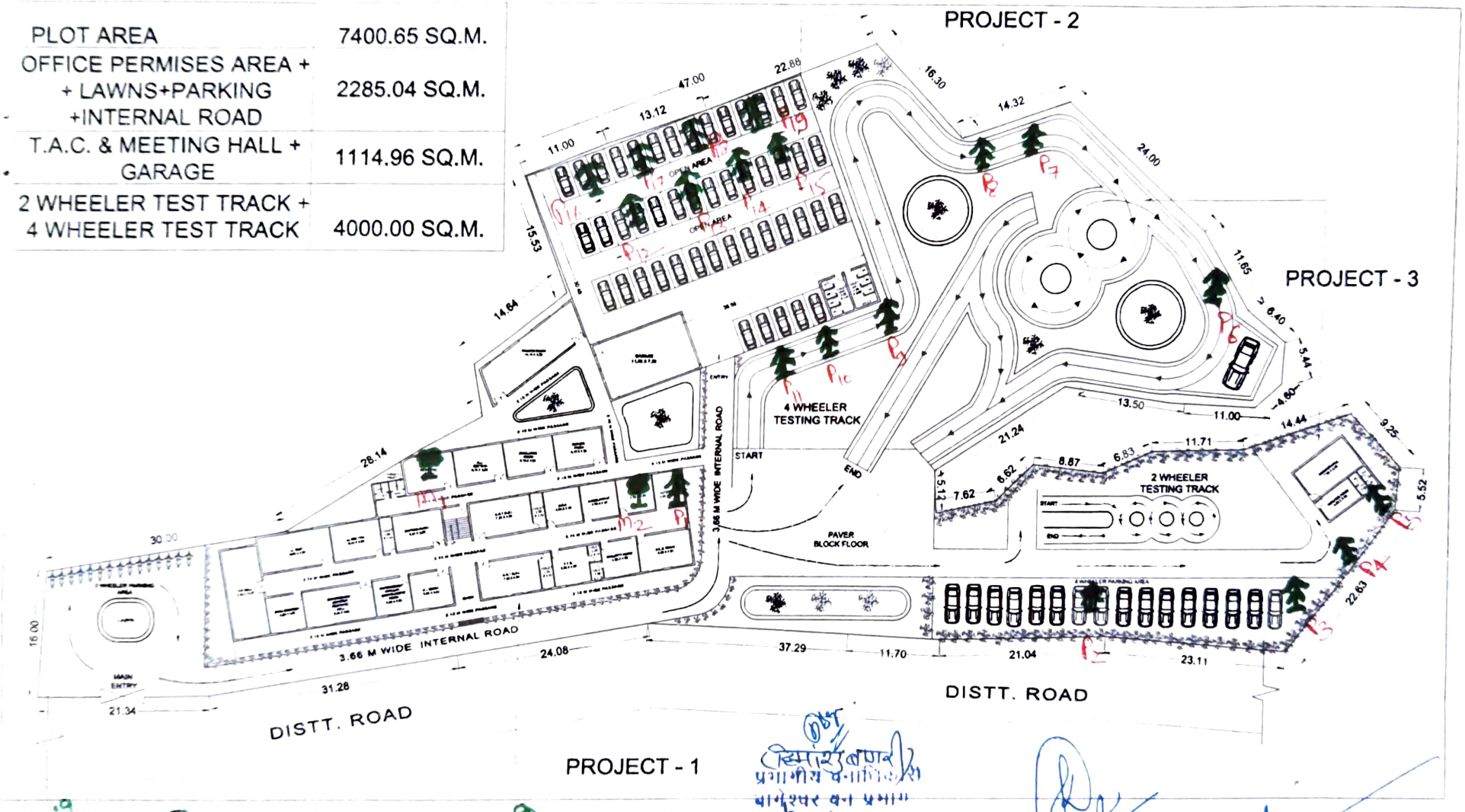

संकेत - 🌳 - आम वृक्ष M1 से M2 = 2

🌲 - चीड़ वृक्ष P1 से P19 = 19

कुल वृक्ष = 21

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी / यू.सी / 05 / 63 / 2022 / एफ.सी / 1563 दिनांक 14.02.2023 द्वारा प्रदर्शित त्रुटियों का निराकरण

प्रपत्र– 20 (संशोधित)

–: परियोजना का नाम :–

–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

परियोजना से प्रभावित होन वाले वृक्षों का मुल्यांकन / सारांश

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले कुल 13 वृक्षों का कुल मूल्य रूपया 8422 /00 आठ हजार चार सौ बाइस रु० मात्र आंकलित किया जाता है।

	Land Type	Tree Species	Diametre	Number	Rate	Cost	Total Value
1	Civil Soyam Land	*Pine/ Pinus roxburghii*	20-30				
			30-40				
			40-50				
		Mango/ Mangifera Indica	40-50	02	2105	4210	8420
			Total	**02**	**2105**	**4210**	**8420**
2	Van Panchayat Gaadgaon	*Pine/ Pinus roxburghii*	10-20	10	231	2310	2310
			20-30				
			30-40	01	1902	1902	1902
			Total	**11**		**4212**	**4212**
	Grand Total			**13**		**8422**	**8422**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

(श्याम सिंह करासिह)
वन क्षेत्राधिकारी

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू.सी./09/69/2022/एफ.सी./1563 दिनांक 14.02.2023 द्वारा प्रदर्शित त्रुटियों का निराकरण

प्रपत्र–20.1 (संशोधित)

–: परियोजना का नाम :–
–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप सें काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 21वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 13 वृक्षों का पातन किया जाना है।

क्र0सं0	भूमि का प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	English Name	ब्यास वर्ग										योग
					00–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	लागू नही			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सिविल सोयम	चीड़	*Pinus roxburghii*	Pine	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
		आम	*Mangifera Indica*	Mango		–	–	–	02	–	–	–	–	–	02
3	वन पंचायत	चीड़	*Pinus roxburghii*	Pine	–	10	–	01	–	–	–	–	–	–	11
योग		––	––		–	10	–	01	02	–	–	–	–	–	13

उपर्युक्तानुसार वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

(दीपिका आर्या)
तहसीलदार, बागेश्वर

(श्याम सिंह करायत)
वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर

पृष्ठ संख्या – 13

प्रपत्र–14

—: परियोजना का नाम :—
—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :— 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत करना है कि पूर्व में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में भी केवल कार्यालय भवन निर्माण हेतु 040 हे0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825 / वन / जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि मे समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए।

वर्तमान में परिवहन विभाग में एकाधिक प्रयोजनों यथा कार्यालय भवन, मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर भवन का निर्माण किया जाना है। इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी भूमि विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि –

- उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निमार्ण किया जा सकता है।
- आवेदित 0.740 हे0 वन भूमि (0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि) की मॉग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निमार्ण कार्य किया जाना सम्भव नही है।

(दीपिका आर्या)
तहसीलदार, बागेश्वर

(श्याम सिंह करायत)
वन क्षेत्राधिकारी

(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर

(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र–1

–: परियोजना का नाम :–

–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :–
1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

प्रतिवेदन

1. भूमिकाः–

महोदय, वर्ष 1997 में बागेश्वर जनपद का सृजन के उपरान्त वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 2000 वाहनो का पंजीकरण किया जाता है। तथापि तब से अभी तक बागेश्वर में परिवहन विभाग का अपना कार्यालय स्थापित नहीं हो पाया है। महोदय, जनपद मुख्यालय बागेश्वर से पिथौरागढ़ चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर चमोली, देहरादून, के अतिरिक्त राज्य से बाहर लखनउ बरेली एवं दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा के साथ–2 आन्तरिक मार्गों पर टैक्सी, जीप आदि से यातायात व्यवस्था संचालित होती है लेकिन परिवहन कार्यालय न होने से विभागीय कार्यों के सम्पादन में कठिनाई होती है।

महोदय उक्त के सन्दर्भ में जनपद में कार्यालय भवन परियोजना निर्माण के दृष्टिगत परिवहन कार्यालय द्वारा संम्पादित जनसेवाओं से सम्बन्धित रूपरेखा बिन्दुवार प्रस्तुत है।

i. वाहन सेवाओं के अर्न्तगत वाहन का पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, वाहन ट्रांसॅफर आदि के साथ साथ वाहन टैक्स सम्बन्धी आदि कार्य भी संम्पादित किये जाते है

ii. वाहन की फिटनेस हेतु टैक्सी मैक्सी वाहन को प्रत्येक वर्ष अथवा द्विवार्षिक बारंबारता पर कार्यालय पहुंच कर वाहन की फिटनेस जांच करानी होती है। इस हेतु वाहन को मैदान या मार्ग पर संचालित कर जनसुरक्षा के दृष्टिगत वाहन की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है।

iii. चालक /सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय पहुंच कर विभिन्न परीक्षाएं सफल करनी होती हैं। प्रथमतः लर्निंग लाइसेंस हेतु कम्प्युटर बेस्ड परीक्षा कम्प्युटर रूम में सम्पन्न की जाती है। तथा द्वितीयतः अभ्यर्थी को डी. एल. प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को वाहन के साथ मैदान/ मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु स्वयं के **कार्यालय भवन** तथा ऑटोमेटेड **डाईविंग टैस्टिंग टैक** का होना अतिआवश्यक है।

iv. प्रवर्तन कार्यों के दौरान बिना परमिट, बिना राजकीय टैक्स ज़मा किये वाहनों, बिना फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों या ऐसे अन्य अति गंभीर अपराधों में दोषी वाहनों को नियमानुसार सीज कर किसी निर्धारित स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है एवं इस हेतु पर्याप्त स्थान तथा उचित पार्किंग भवन की आवश्यकता होती है।

v. देश में वाहनों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप मार्गो में वाहन घनत्व बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्षों में भारत देश में कुल 150000 दुर्घटनाओं में हमने लगभग 500000 मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष खोया है।

vi. महोदय उक्त के दृष्टिगत माननीय सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा भी सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की नियमित निगरानी की जाती है । उक्त कमेटी के निर्देशानुसार कुछ विशिष्ट अभियोगों में वाहन चालक के डी.एल. को 3 माह हेतु निलंबित करने की साथ ही मोटर व्हीकल अधिनियम 1988के संशोधन 2019 द्वारा कई अभियोगों पैनल्टी को अधिक तीक्ष्ण कर दिया गया है।

vii. महोदय उक्त संवेदनशील अभियोगों में दोषी/ नियमों के उल्लघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफ्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिग प्रदान की जानी है जिस हेतु सुप्रीभ कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिग भवन हॉल का निर्माण भी आवश्यक है।

viii. रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरूद्व वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक **ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन** के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।

पत्र संख्या — 5 | 15

महोदय, उपर्युक्त बिन्दुओं i, ii, iii तथा viii के दृष्टिगत कार्यालय परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित हैं –

I. अन–आवासीय कार्यालय भवन,
II. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक
III. ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर भवन

2. योजना का संक्षिप्त विवरण–

- मुख्यालय कार्यालय द्वारा वर्ष 2008 के पत्रांक 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 से प्रारम्भ करते हुए पत्रांक 928/नियोजन /13–70–2019 दिनांक 14.03.2019 तक उनके विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में परिवहन अन–आवासीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के आदेश दिए गए।
- परियोजना के द्वितीय भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13–113 /2017 दिनांक 26–08–2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में डाईविंग लाईसैंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक (भवन निर्माण नहीं) हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया।
- परियोजना के तृतीय भाग के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 419/नियोजन /13/161 /2019 दिनांक 06–02–2020 तथा 2171 /नियोजन/13–161/2021 दिनांक 05–08–2021 के द्वारा सभी जनपदों में निरूद्व वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों के उल्लघनकर्ता चालाकों के काउसलिंग हेतु ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर भवन विकसित किये जाने हेतु भूमि चयन/आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।

3. वित्तीय स्रौत तथा योजना का बजट–

- कार्यालय भूमि हेतु पत्रांक 101/नियोजन /2008–09 दिनांक 19–01–2009 के अनुसार कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 2008 में ही परियोजना एवं बजट का प्रावधान किया जा चुका है।
- ऑटोमेटेड डाईविंग टेस्टिग टैक एवं टैफिक अवेयरनेस सेन्टर हेतु वित्तीय अनुमोदन भूमि हस्तांतरण होने के उपरान्त प्रस्तावित है।
- इसी कम में उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 के पत्रांक 39/सत्रह/ix-2/2021 दिनांक 12-04/2021 तथा इसी कम में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 1725/नियोजन/13–7070/2021 दिनांक 22–04–2021 द्वारा जनपद बागेश्वर में 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

4. समस्याएं जिनका परियोजना से समाधान होगा–

- कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धित–

वर्ष 2007 से ही वर्तमान तक परिवहन कार्यालय किराये के भवन से संचालित है। प्रौद्योगिकीकरण /आधुनिकीकरण /जन सेवओं की प्रकियाओं में भी तकनीकी के प्रयोग ने कार्यालय में प्रयाप्त स्थान की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया है। वर्तमान में किराये के भवन मे पर्याप्त जगह नहीं है इससे पूर्व में भी स्थान अभाव के कारण पूर्व में भी एक किराये का भवन परिवर्तित किया गया था।

- विभागीय भवन में उचित स्थान उपलब्ध होने के कारण सभी जन सेवाए जैसे वाहनों के पंजीकरण, तकनीकी जांच से सम्बन्धित कार्य तथा डाईविंग लाईसैंस हेतु आवेदकों के बायोमैटिक पजीकरण, सिमुलेटर पर लाईसैंस जांच आदि का कार्य अधिक जनसुलभ हो पाएगा।

- डाईविंग टैस्टिंग टैक निर्माण सम्बन्धित–

- डाईविंग टैस्टिंग टैक के निर्माण से केवल अधिक दक्ष आवेदक ही लाईसैंस प्राप्त कर पायेगे जिसके फलस्वरूप वाहन दुर्घटनाओं में भी कमी लाना सम्भव हो पाएगा।

➢ **टैफिक अवरनेस सेन्टर निर्माण सम्बन्धित–**

- प्रथमतः भवन में प्रवर्तन दल के द्वारा निरूद्ध वाहनों को पार्क किया जाएगा वर्तमान तक उक्त हेतु पुलिस विभाग की थानों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु पुलिस विभाग के बढ़ते प्रकरणों हेतु भूमि की अनुपलब्धता तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार यह भवन आवश्यक रूप से बनाया जाना है।
- द्वितीय भवन का उपयोग यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले चालकों को काउसलिंग हेतु किया जाएगा जिससे ऐसे उल्लंघनकर्ताओ को अधिकाधिक संवेदनशील बनाते हुए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकेगी ।

5. लाभान्वित होने वाले परिवारों / जनसंख्या –

➢ परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
01	सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर	260000	समस्त परिवार

➢ प्रश्नगत परियोजना निमार्ण से विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जनपद की 2.6 लाख से अधिक सम्पूर्ण आवादी लाभान्वित होगी। जनपद मुख्यालय बागेश्वर जनपद के लगभग मध्य में स्थित होने तथा अन्य सभी जिला स्तरीय कार्यालय यही पर स्थित होने के कारण परिवहन सेवाओं हेतु दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आम जनों को परिवहन सेवाओं के साथ –साथ अन्य विभागों की सेवाएं भी Single Station System अर्थात मुख्यालय पर ही उपलब्ध हो जाएगी।

6. सस्टेनेबिलिटी :–

अन–आवासीय कार्यालय भवन, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर के निर्माण से परिवहन विभाग नागरिक सेवा तथा सुरक्षा की दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में बदलते परिवेशों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा।

7. योजना का औचित्य–

पर्वतीय जनपद में दुरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों के कार्यों का सरलीकरण हो पाएगा तथा साथ ही वाहन दुर्घटना के मुख्य कारणों का भी निदान करते हुए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जाएगी।

8. भूमि उपलब्धता की स्थिति तथा वन पंचायत एंव सिविल सोयम भूमि पर परियोजना निर्माण का कारण –

➢ महोदय, यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09–06–2008 द्वारा 2008–09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी– 3256 बागे0 दिनांक 07–05–2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देषित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए

➢ इसी क्रम में उचित भूमि चयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा पत्राचार के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान मे नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :–1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.740 हे0 भूमि / गैर कृषि भूमि (0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि) चिन्हित कर प्रस्तावित की गई है।

- महोदय, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में काश्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त आरक्षित, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि को सम्मिलित करते हुए लगभग 86 प्रतिशत भूमि को वन भूमि के दायरे में लिया गया है। जिस कारण किसी एक ही प्रकार की भूमि का जनपद बागेश्वर मुख्यालय में उपलब्धता सम्भव नहीं है। अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु सिविल सोयम तथा वन पंचायत संयुक्त भूमि {0.420 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 है0 वन पंचायत भूमि} वन पंचायत भूमि के हस्तांतरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रपत्र वन में प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

- वर्तमान में परिवहन विभाग में एकाधिक प्रयोजनों यथा कार्यालय भवन, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर का निर्माण किया जाना है। इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी उचित तथा पर्याप्त भूमि विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

- चिन्हित भूमि के परिवहन विभाग को प्रर्त्यावर्तित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण समिति तथा गाडगॉव आम सभा सदस्यों द्वारा दिनांक 07–05–2022 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

- प्रस्तावित भूमि पर चौड़ी पत्तीदार वृक्ष/ बाज प्रजाति का कोई भी वृक्ष नहीं है तथा केवल 19 चीड तथा 02 आम के वृक्ष हैं। परियोजना निर्माण के दौरान न्यूनतम तथा अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।

- स्थानीय निवासियों को उक्त परियोजना निर्माण में कोई आपत्ति नहीं हैं।

- प्रस्तावित भूमि का भू– वैज्ञानिक से भी निरीक्षण कराया गया है एवं उनके द्वारा इसे भूगर्भीय /पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया हैं।

- प्रस्तावित भूमि को मुख्य मोटर मार्ग से जोडने वाला हल्के वाहनों का कच्चा मार्ग बना है।

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु **भूमि** की मांग न्यूनतम, उपयुक्त एवं अपरिहार्य है।

प्रस्तावित भूमि

क0 सं0	ख0खा0 संख्या	श्रेणी	स्वरूप	खेत संख्या	खेत का क्षेत्रफल	मध्ये / प्रस्तावित क्षेत्रफल	ख0खा0 / श्रेणीवार शुद्ध क्षेतफल
01	गैरज0वि ख0खा0 08	09(3) (ख)	ईमारती जगल / वन पंचायत	825	0.308	0.215	0.320
				822	0.185	0.105	
02	गैरज0वि ख0खा0 09	09(3) (ङ•)	बंजर काबिल आबाद	269	0.129	0.084	0.233
				271	0.014	0.014	
				273	0.005	0.005	
				275	0.044	0.044	
				277	0.031	0.031	
				630	0.221	0.005	
				683	0.300	0.050	
03	ज0 वि0 खतौनी 15	05(3) (ङ•)	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	270	0.056	0.056	0.187
				272	0.029	0.029	
				276	0.08	0.08	
				823	0.008	0.008	
				278	0.014	0.014	
कुल क्षेत्रफल (है0 में)					**1.424**	**0.740**	**0.740**

➢ महोदय चिन्हित कुल भूमि 0.74 है0 में से वन पंचायत गाडगॉव के स्वामित्व में दर्शायी गयी 0.32 है0 भूमि के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि :

- ✓ उप जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के पत्रांक 2460/पी0ए0/2022 दिनांक 13–06–2022 के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से 0.32 है0 भूमि गैर0ज0वि0खतौनी श्रेणी 3 तीन ख ईमारती जंगल वर्तमएान में वन पंचायत गाडगॉव के नाम दर्ज अभिलेख है। यह भूमि वर्तमान में नगर पालिका परिषद के विस्तारीकरण उपरान्त नगर पालिका बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत समाहित हो गया है तथा माँ चण्डिका वार्ड में स्थित है।
- ✓ नगर पालिका बागेश्वर के पत्रांक 333/ - /2022–23 दिनांक 01–06–2022 की सूचना के अनुसार उक्त वन पंचायत गाडगॉव के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल वर्तमान मे नगर पालिका बागेश्वर के विस्तारिकरण के परिणामस्वरूप नगर पालिका क्षेत्र के चण्डिका वार्ड में सम्मिलित कर ली गई है।
- ✓ उपर्युक्त के आधार पर यह प्रस्तुत है कि "वन पंचायत गाडगॉव" की ग्राम सभा वर्तमान में नगर पालिका बागेश्वर के विस्तारिकरण के फलस्परूप शहरी स्थानीय स्वशासन की ईकाई के रूप में चण्डिका वार्ड गाडगॉव के नाम से जानी जाती है जिसके जन प्रतिनिधि के रूप में, कार्यरत वार्ड मैम्बर/सभासद श्री नीतेश वर्मा निवासी चण्डिका वार्ड बागेश्वर, मो0 संख्या 8958417583 है।
- ✓ भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए गाडगॉव चण्डिका वार्ड आम सभा द्वारा चिन्हित स्थल का संयुक्त निरीक्षण तथा बैठक कर आवश्यक प्रमाण पत्र यथा प्रपत्र –21 तथा प्रपत्र–23 आदि जारी किए गए हैं।

➢ अतः वन अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस परियोजना के निर्माण हेतु जनपद/नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में चिन्हित कुल 0.740 हे0 भूमि / गैर कृषि भूमि के परिवहन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन/हस्तांतरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में महोदय से निवेदन है कि प्रतिवेदन पर सुलभ जनसेवा तथा सड़क सुरक्षा जैसे अतिसंवेदनशील विषय के दृष्टिगत विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान कर वन अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण हेतु आवश्यक आदेश जारी कराने की कृपा करना चाहें।

निर्देशों/पत्रांकों की छायाप्रति संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी

स्थानः–**बागेश्वर**
तारीखः 13-06-2022

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 2171/नियोजन/13–161/2021 दिनांक 05/08/2021 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय–रिट याचिका संख्या–2112/एम0एस0/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 419/नियोजन/13–161/2020 दिनांक 06–02–2020, पत्र संख्या–1889/नियोजन/13–161/2020 दिनांक 23–07–2020 एवं पत्र संख्या–3386/नियोजन/13–161/2020 दिनांक 11–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–2112/एमएस/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06–07–2018 को अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखत निर्देश पारित किये गये हैं:–

(S). All the District Magistrates, throughout the State of Uttarakhand are directed to provide sufficient land for parking the seized vehicles by the Transport Department, as desired by Mr. D. Senthil Pandiyan within three months, to be called "Traffic Awareness Centres", throughout the State of Uttarakhand, as suggested by Mr. M.S. Chauhan, learned Advocate within a period of three months from today.

इसके अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 01–11–2019 में राज्य के सभी जनपदों में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग को अपेक्षित भूमि आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

सहायक ... अधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या 111 /नियोजन/13-161/2019 दिनांक 06 फरवरी 2020

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-रिट याचिका संख्या-2112/एमएस/2011 अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2958/प्रवर्तन/सा०सु०/1-293/2018 दिनांक 09-07-2018 एवं दिनांक 01-11-2019 को मा० परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर विकसित किये जाने के लिये भूमि आवंटित करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान निरुद्ध वाहनों को खड़ा करने ① एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को काउन्सलिंग प्रदान करने के ② उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं।
3. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर

2608105, 2608106, फैक्स 2608108, ई-मेल transport-hq-uk@gmail.com
अनुभाग ई-मेल: uktcoplan@gmail.com

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 128 /नियोजन/13–70/2019

दिनांक 15- मार्च, 2019

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय–उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–4282/नियोजन/13–70/2018 दिनांक 27–09–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आतिथि तक कृत कार्यवाही एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

RTI संख्या - 122

कार्यालय परिवहन आयुक्त,उत्तराखंड
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून

पत्र संख्या - 101 / नियोजन / 2008-09 दिनांक : 19 जनवरी 2009

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर, उत्तरकाशी।

विषय : सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवनों की स्थापना हेतु निशुल्क भूमि चयन के संबध, में ।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 654 / नियोजन / 2008 दिनांक 27, अप्रैल,2008, पत्र संसख्या 1008 / नियोजन / 2008 दिनांक 15, मई 2008 एवं पत्र संख्या 1303 / नियोजन / 2008 दिनांक 09,जून 2008, पत्र संख्या 1905 / नियोजन / 2008 दिनांक 21,जुलाई 2008 एवं पत्र संख्या 2524 / नियोजन / 2008–09 / 08 दिनांक 02,सितम्बर 2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं जिस हेतु वर्ष 2008–09 में परिव्यय एवं बजट प्रावधान किया गया था किन्तु भूमि विभागके नाम हस्तांतरण न होने के कारण उक्त कार्यालय हेतु निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में अपने जिले से संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई संपन्न करें ताकि समय पर भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करना है कि भूमि चयन कर संबंधित भूमि का निरीक्षण / परीक्षण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

पत्र संख्या 101 दिनांकित 19 जनवरी

प्रतिलिपिः– संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौडी, हल्द्वानी एवं अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भूमि चयन की कार्रवाई कर प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखंड।

प्रभारी मुख्य सहायक
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।
23/1/09

स०स०प०अ०
बागेश्वर

अधिकारी

पत्रावली संख्या — 13 22

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 6285 दिनांक 28-9-17

प्रेषक,

डी0 सैन्थिल पाण्डियन
सचिव / आयुक्त, परिवहन
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रैट /
अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति,
उत्तराखण्ड।

संख्या 5345 / नियोजन / 13 113 / 2017 दिनांक 26 अगस्त, 2017

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 61 / प्रवर्तन / एक 8(3) / स0स0 / 2015 दिनांक 05-01-2016 एवं दिनांक 13-04-2017 को सम्पन्न विडियो कान्फ्रेन्सिंग बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यों हेतु परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं:-

1. वाहनों की फिटनेस जॉच करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना। (लगभग 3 एकड़ भूमि)
2. परिवहन कार्यालय में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा के लिए ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना। (लगभग 4,000 वर्गमीटर भूमि)

अभी तक मात्र जनपद हरिद्वार में उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि उपलब्ध हो पायी है। भूमि उपलब्ध करवाने में जिलाधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

अन्य जनपदों में अभी भूमि का चिन्हिकरण नहीं हो पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 सैन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर

प्रतिलिपि:-1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी0 सैन्थिल पाण्डियन)
सचिव / आयुक्त, परिवहन

दूरभाष: 0135 2608105 2608106, फैक्स: 2608109

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
08–रामबाग, कॉवली, देहरादून।

पत्र संख्या– 1303 /नियोजन/2008 दिनांक: 07 /2008

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टिहरी, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर।

विषयः–सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु परिव्यय बजट प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि/आबंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से सम्पर्क कर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीध्र सम्पन्न करायें। ताकि समय पर भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न हो सके, एवं बजट का सदुपयोग भी इसी वित्तीय वर्ष में हो सके।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

2854
/6/08

पत्र सं० 1 — 1524

स्वच्छ बागेश्वर स्वस्थ बागेश्वर सुन्दर बागेश्वर

!! कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागेश्वर !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Email- nppbageshwar@gmail.com

पत्रांक 333 / — /2022–23/ दिनांक – 01 06 2022

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 409/भूमि चयन/2022–23/ दिनांक 12.05.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के माँ चण्डिका वार्ड में स्थित हैं।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बागेश्वर।

प्रतिलिपि – उप जिलाधिकारी महोदय /अध्यक्ष परिवहन विभाग हस्तान्तरण संयुक्त निरीक्षण समिति, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बागेश्वर।

पत्रा सं० 1041 — 28

कार्यालय उप जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या– 2460 /पी0ए0/2022

दिनांक 13 जून,2022

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर ।

विषय–परिवहन कार्यालय बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तानान्तरण ।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–483/भूमि चयन/2022–23 दिनांक 04–06–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । अवगत कराना है कि विवरण पत्र के कमॉक 01 में अंकित किये गये 0.320 है0 भूमि गैर0ज0वि0 खतौनी श्रेणी 09(3) ख ईमारती जंगल वर्तमान में वन पंचायत गाडगॉव के नाम दर्ज अभिलेख है ।

उक्त प्रस्तावित भूमि वर्तमान में नगर पालिका परिषद बागेश्वर के विस्तारीकरण उपरान्त नगर पालिका बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत समाहित हो गया है तथा मॉ चण्डिका वार्ड में स्थित है ।

अतः उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर ।

४०० संख्या — 27

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या ६१९ /11-एल०ए०सी०/2021-22 दिनांक 09 जून, 2022

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

बागेश्वर।

विषय परिवहन कार्यालय एवं विभिन्न कार्यो हेतु भूमि चयन के संबध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 259/भूमि चयन/2022-23 दिनांक 20-4-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में परिवहन कार्यालय एवं विभिन्न कार्यो हेतु भूमि ग्राम गाडगाँव में कुल 0.740 है० भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबध में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर से जाँच कराई गई । उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या मैमों /पी०ए०/2022 दिनांक 17 मई 2022 से ग्राम गाडगाँव की ज०वि०खतौनी श्रेणी 5(3)ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या 15 में दर्ज पैमायशी खसरा संख्या 270 में 0.056 है ,272क्षेत्रफल 0.029 है०,,276 में 0.080 है०,278 में 0.014 है०एवं खसरा संख्या -823 में 0.008 है०इस प्रकार 05 खसरा नम्बरों की 0.187 है०भूमि गै०ज०वि०खतौनी संख्या श्रेणी 9(3)ख ईमारती जंगल (वर्तमान में वन पंचायत गाडगाँव की नाम दर्ज) के खाता संया -8 के पैमायशी खसरा संख्या 822 क्षेत्रफल 0.185 है०मध्ये 0.105 है०एवं खसरा संख्या -825 क्षेत्रफल 0.308 है०मध्ये 0.215 है०इस प्रकार दो खसरा नम्बरानों की 0.320 है०तथा उक्त ग्राम गाडगाँव के गै०ज०वि०खतौनी श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या-09 में दर्ज पैमाईशी खसरा नम्बर 269 क्षेत्रफल 0.129 है०मध्ये 0.084 है०,271 क्षेत्रफल 0.014 है०,273क्षेत्रफल 0.005 है०,275 क्षेत्रफल 0.044 है०,277 क्षेत्रफल 0.031 है०,630 क्षेत्रफल 0.221 मध्ये 0.005 है०एवं खसरा संख्या 683 क्षेत्रफल 0.300 है०मध्ये 0.050 है०इस प्रकार खात खसरा नम्बरानों की कुल0.233 है०भूमि चयनित की गई है तीनों श्रेणी (जेड०ए०/नॉन जेड०ए०)की कुल 0.740 है०भूमि परिवहन विभाग के कार्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है।

उक्त प्रस्ताव के विन्दु संख्या 5 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि में कहीं-कहीं पर चीड़ प्रजाति के हरे वृक्ष मौजूद है जिसे वन विभाग से अपेक्षित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अत: उक्त प्रस्ताव की मूल प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि परिवहन कार्यालय के निर्माण के संबध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। और कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे।

संलग्न उक्तानुसार ।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

नक्शा ग्राम गाडगांव राजस्व क्षेत्र दुग्नाकोट, तहसील व जिला - बागेश्वर

वास्ते - उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन

पैमाना 64" = 1 मील

संकेत सूची

1. = पैदल मार्ग
2. = राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि
3. = A.R.T.O. कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि ।
4. = ज़॰ श्रेणी 1(क) की निजी स्वामित्व की भूमि जो प्रस्तावित भू-भाग अंश/हिस्सा नहीं है ।

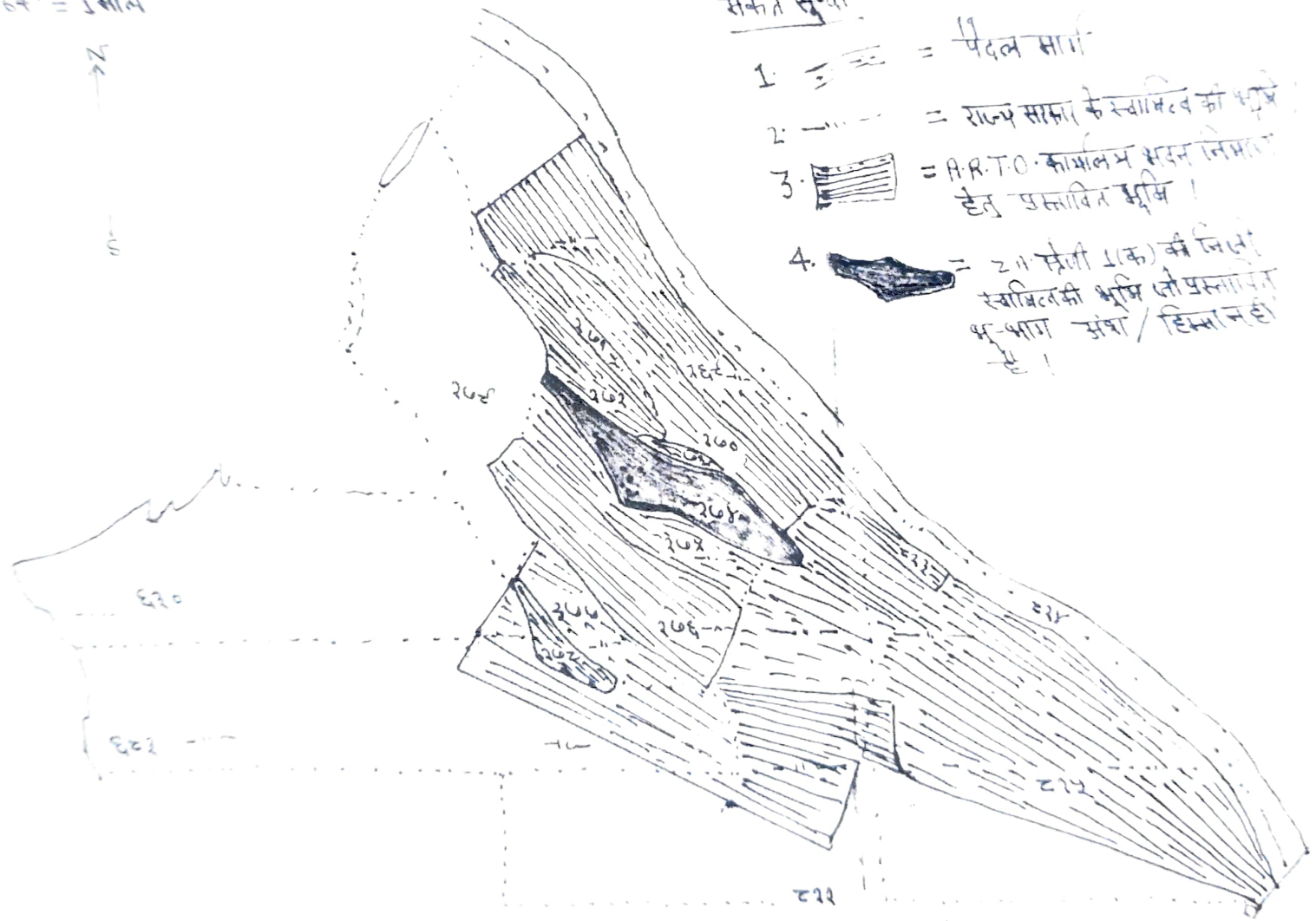

सत्यापित,

नक्शा मूल से देख कर तैयार किया ।

खसरा फार्म पत्र-3 खसरा उद्धरण ग्राम- गाड़गांव या उर्फ [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] फसली -1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
269	0.129	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.129		नौइ 17
270	0.056	15	कृषि योग्य बंजर भूमि			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बंजर	0.056		
[illegible]	0.014	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.014		
272	0.029	15	कृषि योग्य बंजर भूमि			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बंजर	0.029		
273	0.05	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.05		
275	0.044	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.044		
276	0.080	15	कृषि योग्य बंजर भूमि			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बंजर	0.080		
277	0.031	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.031		
278	0.014	15	कृषि योग्य बंजर भूमि			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बंजर	0.014		
630	0.221	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.221		
683	0.300	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.300		
822 823	0.185 0.008	9 15	ऊ. स. कृषि योग्य बंजर भूमि			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर बंजर	0.185 0.008		
825	0.308	9	ऊ. स.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	बं.को. ऊसर	0.308		नौइ 2 ऊसर 2

महोदय,
खसरा उद्धरण तैयार किया।
03.05.2019
R.S.I. [illegible]

Page — 19 —

19

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

812/रा०अ०–भूमि प्रस्ताव/2020–21

दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

OC/L.A.C

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या–285/सामा०प्रशा०/भूमि/2021 दिनांक–24.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु ग्राम गाड़गांव तहसील, बागेश्वर में संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हित की गयी 0.595 है० भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन निर्माण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु ग्राम गाड़गांव तहसील, बागेश्वर में संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हित की गयी 0.595 है० भूमि का प्रस्ताव तहसीलदार, बागेश्वर के पत्र से प्राप्त किया गया।

तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा चयनित भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी

1. प्रस्तावित भूमि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम गाड़गांव क्षेत्र दुगबागेश्वर की गैर०ज०वि०ख०खा० श्रेणी 9(3) ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या–09 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या–277 रकवा 0.031 है०, खेत संख्या–630 मध्ये रकवा 0.005 है० व खेत संख्या–683 मध्ये रकवा 0.050 है० कुल रकवा 0.086 है०, एवं गैर०ज०वि०ख०खा० श्रेणी 9(3) ख वन पंचायत के खाता संख्या–08 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या–822 मध्ये 0.045 है० तथा गैर०ज०वि०ख०खा० श्रेणी 5(3) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या–15 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या–278 रकवा 0.014 है० कुल रकवा 0.145 है० भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गयी है। भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है।
2. याचक विभाग को उक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त पूर्व में 0.595 है० भूमि का प्रस्ताव उपरोक्त कार्य हेतु प्रेषित किया गया है।
3. वर्तमान में प्रस्तावित भूमि के खेत संख्या–822 मध्ये 102.26 वर्गमीटर में भूकम्प विरोधी तीन टीनसैट के सल्टर हाउस बने है।
4. प्रस्तावित भूमि बागेश्वर–काण्डा, मोटर मार्ग के पहाड़ी की ओर स्थित है।
5. प्रस्तावित भूमि को याचक विभाग निःशुल्क चाहता है। जिसमें कोई मन्दिर, मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।
6. प्रस्तावित भूमि में एक चीड़ का वृक्ष है। लेकिन 0.045 है० भूमि वन पंचायत के अन्दर आती है, इसलिए प्रस्तावित भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होने अथवा न होने के संबंध में वन विभाग से आख्या ली जानी उचित होगी।
7. प्रस्तावित भूमि का वर्तमान सर्किट रेंटो के अनुसार कुल कीमत 65,54,000.00 (पैसठ लाख चौवन हजार) आंकी जाती है।

अतः उक्तानुसार तहसीलदार, बागेश्वर से प्राप्त चयनित भूमि का प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

/2021

[redacted]

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या 43/21–एल.बी.सी./2019–20 दिनांक 21 जनवरी,2020

[illegible]क सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
[illegible]वर ।

[illegible]:– **उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय,बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु।**

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पंत्र संख्या 39/सामा.प्रशा./भूमि चयन/2018–19 दिनांक [illegible].2019 जो उपजिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत जनपद बागेश्वर [illegible]रेवहन विभाग हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है ।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी,बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 170/रा.अ.–भूमि [illegible]018–19 दिनांक 09 मई,2019 से उक्त प्रयोजन हेतु तीन प्रकार की भूमि का चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध [illegible]या गयाहै जो निम्नवत है:–

संख्या 1 –ग्राम गाड़गॉव की गै.ज.वि.ख.खा.संख्या 08 श्रेणी [illegible] [illegible]म दर्ज खेत संख्या 822 क्षेत्रफल 0.185 है. मध्ये 0.060 है.,खेत संख्या 825 क्षेत्रफल 0.308 मध्ये 0.215 है.कुल [illegible]फल 0.275 है.भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इस [illegible] में वन पंचायत सरपंच गाड़गॉव द्वारा अपनी अनापत्ति दी गई है। चूंकि उक्त भूमि इमारती लकड़ी के जंगल [illegible]रूप में होने से वन अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू है।

संख्या 2– ग्राम गाड़गॉव की गैर.ज.वि.खतौनी संख्या 15 श्रेणी 5(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप [illegible] खसरा संख्या 270 क्षेत्रफल 0.056 है.खेत संख्या 272 क्षेत्रफल 0.029 है.खेत संख्या 276 क्षेत्रफल 0.080 है.व [illegible] संख्या 823 क्षेत्रफल 0.008 है.कुल रकवा 0.173 है.भूमि चिन्हित की गयी है जो जेड.ए.की भूमि है जिस पर [illegible]सभा के अन्तर्गत गठित भूमि प्रबन्धन समिति का अधिकार होता है। जबकि ग्राम में भूमि प्रबन्धन समिति गठित है ।

संख्या 3– ग्राम गाड़गॉव की नॉन जेड. ए.खतौनी श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आवाद खाता संख्या 9 [illegible]मायशी खेत संख्या 269 मध्ये रकवा 0.084 है.,खेत संख्या 271 रकवा 0.014 है.,खेत संख्या 273 रकवा 0.005 [illegible]त संख्या 275 रकवा 0.044 है.कुल 0.147 है.भूमि प्रस्तावित की गयी है।

बिन्दु संख्या–1 पर दर्ज भूमि जो गै.ज.वि.ख.खा.संख्या 08 श्रेणी 09(3)ख ईमारती जंगल [illegible]रूप में वन पंचायत के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 0.275 है. है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान [illegible] होने से याचक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार किये हेतु प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर सम्पर्क स्थापित कर विधिवत कार्यवाही की जानी होगी। इस संबध जिलाधिकारी,महोदया द्वारा अपने आदेश [illegible]ांक 17.01.2020 से उक्त प्रस्तावित भूमि के संबध में आख्या प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि के संबध में तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही कर अपनी स्पष्ट आख्या [illegible] सप्ताह अन्दर इस कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर ।